

न्यायालय- उपखण्ड अधिकारी, रानी, जिला- पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी- रवि कांत सिंह (R.A.S.)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या- 08/2021

तारीख फैसला- 31/03/2022

प्रार्थी :-

धनाराम पुत्र देवाराम , जाति- घांची, निवासी- रानी खुर्द, तहसील- रानी,
जिला- पाली (राज0)

-: विरुद्ध :-

अप्रार्थी :-

2- भूमिधारी तहसीलदार, रानी, जिला- पाली (राज0)

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 251-क (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति-

श्री दिनेश कुमार वकील प्रार्थी की ओर से।

सरकारी पैरोकार अप्रार्थी की ओर से।

-: निर्णय :-

दिनांक- 31/03/2022

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थी के राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा- 251-क की उपधारा-(1) के अधीन भूमि गत पाईप लाईन बिछाने की अनुज्ञा के लिये इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि- ग्राम- रानी खुर्द, पटवार हल्का रानी, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र रानी, तहसील- रानी जिला- पाली में खसरा नं0- 195 रकबा- 3.9700 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव अक्वल, खसरा नम्बर- 205 रकबा- 1.9400 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव अक्वल, खसरा नं0- 221 रकबा- 2.8700 हैक्टेयर किस्म बारानी अक्वल की खातेदारी प्रार्थी के नाम से दर्ज है प्रार्थी के उपरोक्त खातेदारी भूमि के खसरा नं0- 221 में कुआ व ट्यूब वेल खुदा हुआ है, जो चालु हालत में है। जिसमें प्रार्थी के नाम कृषि विद्युत कनेक्शन लिए हुए है, जिसकी खाता संख्या- 1501/0066 (कुएं पर 7.5 एच.पी.) व 1501/0235 (ट्यूबवेल पर 10.00 एच.पी.) है। ग्राम रानी खुर्द भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र रानी तहसील रानी में भूमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतु खसरा नं0- 187 गै.मु. रास्ता 192 गै.मु. रास्ता, 195 चाही प्रथम, जाव अक्वल, 217 चारागाह, बारानी दोयम में भूमि गत पाईपलाईन बिछाने हेतु जो नक्शे में भूमिगत पाईपलाईन बिछाने

—कमश: पेज- 2 पर.....


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

—कमश निर्णय पेज... (2)... राजस्व वि०मु०सं०- 08/2021 प्रार्थी- धनाराम बनाम अप्रार्थी- तहसीलदार, रानी भूमिधारी राज्य सरकार अन्तर्गत धारा- 251-क राज०काश्त० अधि० न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, रानी.....

हेतू सबसे निकटतम रेकॉर्ड सुदा रास्ता व कृषि भूमि आई हुई है। इस खसरा नं०- 187, 192, 195, 217 मे से होकर प्रार्थी खसरा नं०- 195, 205 खसरा नं०- 221 मे स्थित कुए व ट्यूबवेल से पानी सिंचाई हेतु ले जाने के लिए भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाह रहा है, जो प्रार्थी के लिए अति आवश्यक प्रकृति का मामला है। अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि सलंगन नजरिये नक्शे मे दर्शाये खसरा नम्बर- 187, 192, 195, 217 के ए, बी, सी, डी, ई, व एफ भाग मे से प्रार्थी के खसरा नं.- 221 में स्थित कुए व ट्यूब वेल से खसरा नं.- 195, 205 में सिंचाई हेतू नियमानुसार भूमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतू आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया एवं तहसीलदार, रानी को प्रार्थना-पत्र की प्रति मय तहरीर भेजकर मौका जांच हेतु लिखा गया।


तहसीलदार, रानी द्वारा जांच रिपोर्ट क्रमांक/ राजस्व/ 21/ 1256 दिनांक- 09/09/2021 के जरिये प्रार्थना-पत्र के संबंध मे मौजा रानी खुर्द के ख.नं. 195, 205 व 221 मे सिंचाई हेतू पाईप लाईन डालने बाबत निरीक्षक भूअ. रानी एवं पटवारी हल्का रानी खुर्द से रिपोर्ट ली गई, जिसके अनुसार-

1- यह है कि मौजा रानी खुर्द के ख.नं.- 221 जो कि प्रार्थी की भूमि है मे कुआ एवं ट्यूब वेल खुदा हुआ है, उक्त कुआ लगभग 30-35 वर्ष पूर्व एवं ट्यूबवेल लगभग 20-25 वर्ष पूर्व खोदा गया है। प्रार्थी ख.नं.- 221 से पाईपलाईन ख.नं. 195, 205 मे ले जाना चाहता है।

2- उक्त कुआ एवं ट्यूबवेल का जमाबंदी मे अंकन नही है, किन्तु नक्शा लट्टा व खसरा गिरदावरी में कुआ एवं ट्यूबवेल का अंकन किया गया है। नक्शा एवं गिरदावरी की नकल सलंगन है।

3- ख.नं. 195, 205 मे ले जाने हेतु पाईप लाईन ख.नं. 187 व 192 गै.मु. रास्ता राजस्व रेकॉर्ड अनुसार दर्ज है व ख.नं. 217 चारागाह हेतु राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है, मे से उक्त पाईप लाईन ले जाना चाहता है। निपरीक्ष भूअ. रानी की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा सलंगन है। उक्त मौका रिपोर्ट मे पाईप लाईन डालने हेतु आवश्यक एवं दी जाने वाले रकबे की चौडाई नही दर्शा गई अतः न्यायालय द्वारा पैरोकार सरकार को मौका जांच रिपोर्ट मे चौडाई स्पष्ट दर्ज करने हेतू संशोधन हेतू कहा गया, जिस पर पैरोकार सरकार द्वारा तहसीलदार, रानी एवं भूअ. नि. रानी व पटवारी हल्का, रानी खुर्द की हस्ताक्षरित मौका

—कमश: पेज- 3 पर.....


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

—कमरा: निर्णय पत्रा... (3) ... रावतव दिग्गुणधो- 08 / 2021 प्रार्थी- वनपाल कमल अग्रवा- तहसीलदार, रानी
भूमिगारी राजा सरकार अन्तर्गत बरा- 251-क- राजकारण/0 अति0 न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, रानी

22

रिपोर्ट में आपश्यक संशोधन किया जाकर पुनः पेश की गई, जो निम्न प्रकार है— निवेदन है कि चिन्दू संख्या-3 में उल्लिखित ख.नं. 192 किसम गै.मु. राजस्व रेकर्ड अनुसार चारागाह के खाते में दर्ज है, जो मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है। प्रस्तावित पार्इप लाईन जो ख0नं0- 187 में की लम्बाई 310 मीटर व चौड़ाई 1 मीटर एवं ख0नं0- 192 की लम्बाई 140 मीटर बाई चौड़ाई 1 मीटर व ख.नं. 217 में लम्बाई 56 मीटर बाई चौड़ाई 1 मीटर प्रस्तावित है। जो तहसीलदार, रानी की रिपोर्ट मय निरीक्षक भू.अ. रानी की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को शामिल पत्रावली की गई।

वकील प्रार्थी एवं परोकार सरकार की बसह सुनी गई एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं तहसीलदार, रानी की जांच रिपोर्ट क्रमांक / राजस्व / 21 / 1256 दिनांक- 09 / 09 / 2021 मय निरीक्षक भू.अ. रानी की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का अध्ययन एवं अवलोकन ध्यानपूर्वक किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम रानी खुर्द के ख0नं0- 221 में प्रार्थी का कुआ एवं टयुबवेल खुदा हुआ है, जिसमें सिंचाई हेतू प्रार्थित पानी होना एवं बेरा व टयुबवेल पर कृषि विद्युत संबंध स्थापित किये हुए एवं विद्युत मोटर पम्प सेट लगने हुए होना पाया जाता है जहां से प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि मौजा रानी खुर्द के 195 व 205 की सिंचाई हेतू हेतू खसरा नं0- 221 से खसरा नम्बर- 187 व 192 गै.मु. रास्ता से होते हुए ख0नं0- 195 से होते हुए खसरा नं0- 217 में से होकर खसरा नम्बर- 205 तक प्रस्तावित मौका रिपोर्ट में बराग लाल रेखा जोड़-जोड़ से दर्शाये अनुसार प्रार्थी भूमिगत पार्इप लाईन बिछाना चाहता है। जिस हेतू खसरा नम्बर- 187 में की लम्बाई 310 मीटर व चौड़ाई 1 मीटर एवं ख0नं0- 192 की लम्बाई 140 मीटर बाई चौड़ाई 1 मीटर व खसरा नम्बर- 217 में लम्बाई 65 मीटर बाई चौड़ाई 1 मीटर कुल क्षेत्रफल हैक्टर भूमि प्रभावित होती है एवं प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर- 195 व 205 की सिंचाई हेतू खसरा नम्बर- 221 में स्थित बेरा एवं टयुबवेल से उक्त प्रस्तावित अनुसार भूमिगत पार्इपलाईन बिछाने के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध होना प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन में मेरी विनम्र राय में प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रानी खुर्द के ख0नं0- 221 में स्थित प्रार्थी के बेरा / टयुबवेल से प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा- रानी खुर्द के खसरा नम्बर- 195 व 205 की सिंचाई हेतू अप्रार्थी राज्य सरकार की भूमि खसरा नं0- 221 से खसरा नम्बर- 187 व 192 गै.मु. रास्ता से होते हुए (प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0- 195 से होते हुए)

—कमरा: पेज- 4 पर.....

—कमशः निर्णय पेज... (4)... राजस्व विभागनं०- 08 / 2021 प्रार्थी- धनाराम बनारम अपार्थी- तहसीलदार, रानी भूमिगारी राज्य सरकार अन्तर्गत धारा- 251-क राजनकरा० अधि० न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी रानी.....

खसरा नं०- 217 मे से होकर खसरा नम्बर- 205 तक प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मे बरंग लाल रेखा जोड-जोड से दर्शाये अनुसार प्रार्थी भूमिगत पाईप लाईन विछाना चाहता है, (जिस हेतू खसरा नम्बर- 187 मे की लम्बाई 310 मीटर व चौडाई 1 मीटर एवं ख०नं०- 192 की लम्बाई 140 मीटर बाई चौडाई 1 मीटर व खसरा नम्बर- 217 मे लम्बाई 65 मीटर बाई चौडाई 1 मीटर कुल क्षेत्रफल हैक्टर भूमि प्रभावित होगी), जिसकी प्रार्थी को अपनी जेत की सिंचाई हेतू इसकी आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रतीत होती है एवं इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक साधन नहीं होना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन, मे भेरी विनम्र राय मे प्रस्तावित भूमिगत पाईप लाईन भूमि तल सतह से 3 फीट नीचे नीचे राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के अध्याय-12 अधिनियम की धारा- 251-क के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम 70 के उपनियम (1) (i)- (ख) अनुसार प्रभावित प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल- क्षेत्रफल- 5।5 वर्गमीटर यानि 0.05।5 हैक्टेयर की वर्तमान डीएलसी की निर्धारित व प्रभावित दर से बनने वाली राशि की 10 प्रतिशत अवधारित प्रतिकर राशि भेरे द्वारा अवधारित की जाकर प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुसार पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, रानी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट मय भू०अ० निरीक्षक एवं पटवारी की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित भूमिगत पाईपलाईन भूमि तल सतह से 3 फीट नीचे-नीचे विछाने का अधिकार मंजूर किया जाना न्यायोचित मानता हूँ।

—: आदेश :-

परिणाम स्वरूप प्रार्थी का यह आवेदन अन्तर्गत धारा- 251-क (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सरहद ग्राम रानी खुर्द मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख०नं०- 221 जिसमे प्रार्थी के बेशा/टयुबवेल स्थित है, से प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा- रानी खुर्द के खसरा नम्बर- 195 व 205 की सिंचाई हेतू अपार्थी राज्य सरकार की भूमि खसरा नं०- 187 किस्म गै.मु. रास्ता मे से होकर लम्बाई 310 मीटर व चौडाई 1 मीटर, ख० नं०-192 किस्म गै.मु. रास्ता से होकर लम्बाई 140 मीटर बाई चौडाई 1 मीटर (प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख०नं०- 195 से होते हुए) खसरा नं०- 217 किस्म गै.मु.चा. मे से होकर लम्बाई 65 मीटर बाई चौडाई- 1 मीटर पर प्रार्थी की खातेदारी जेत खसरा नम्बर- 205 तक पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, रानी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट मय भू०अ० निरीक्षक, रानी एवं पटवारी हल्का- रानीखुर्द की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा मे बतलाये अनुसार बरंग लाल रेखा जोट-टोट से दर्शित अनुसार भूमि तल सतह से 3 तीन फीट नीचे

—कमशः पेज- 5 पर.....

